तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251ए स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर बापिणी	

सेवामें,

श्रीमान सहायक कलेक्टर एवम्

उपखण्ड अधिकारी, लोहावट

प्रार्थना पत्र संख्या :–

प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थीगण

1. कुम्भाराम पुत्र अलाराम
2. खीयाराम पुत्र अलाराम
3. गोमन्दराम पुत्र अलाराम
4. जेठाराम पुत्र अलाराम
5. नगाराम पुत्र अलाराम

सभी जातियान राईका निवासी करनगर नगर, निम्बो का तालाब तहसील बापिणी उप तहसील मतौड़ा जिला जोधपुर

बनाम

1. जगमाराम पुत्र किलाराम
2. गोपाराम पुत्र किलाराम
3. नकताराम पुत्र किलाराम
4. उम्मेदाराम पुत्र रामुराम
5. खुशालाराम पुत्र रामुराम
6. घेवरराम पुत्र रामुराम
7. देवाराम पुत्र रामुराम
8. पन्नाराम पुत्र रामुराम
9. भंवरी पत्नि रामुराम
10. हुक्माराम पुत्र रामुराम

सभी जाति राईका निवासी करनगर नगर, निम्बो का तालाब तहसील बापिणी उप तहसील मतौड़ा जिला जोधपुर

11. अनोपसिह पुत्र दीपसिंह
12. छत्रसिंह पुत्र दीपसिंह
13. जसवन्तसिह पुत्र दीपसिंह
14. भैरूसिह पुत्र दीपसिंह
15. मांगुसिह पुत्र दीपसिंह
16. लालकवंर पत्नि दीपसिंह
17. आमसिह पुत्र मेगसिंह
18. गणपतसिह पुत्र मेगसिंह
19. राजुसिह पुत्र मेगसिंह
20. उकारसिह पुत्र सुजानसिह
21. नखतसिह पुत्र सुजानसिंह
22. भीखसिह पुत्र सुजानसिंह
23. मनोहरसिह पुत्र सुजानसिंह

24. रूपसिह पुत्र सुजानसिंह
BXP — 25. नारायणसिह पुत्र मालमसिंह
HS — 26. भीवसिह पुत्र चिमनसिंह
सभी जातियान राजपुत निवासी करनगर नगर, निम्बो का तालाब तहसील बापिणी उप तहसील मतौड़ा जिला जोधपुर
27. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक औसिया।
28. श्रीमान तहसीलदार बापिणी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत।

महोदय जी,

मुझ प्रार्थीगण की ओर से निम्न निवेदन है कि :—

1. यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के पटवार मण्डल निम्बो का तालाब के राजस्व ग्राम करनगर नगर में खसरा नम्बर 125 (एक सो पच्चीस) रकबा 7.0091 (सात दशमलव शुन्य शुन्य नो एक) हैक्टेयर भूमि आई हुई है। चालु जमाबन्दी की नकल साथ में पेश है जो प्रार्थना पत्र का भाग व अंग समझा जावें।
2. यह है कि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 125 (एक सो पच्चीस) के चिपते ही पड़ौसी खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 (एक) ता 10 (दस) की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 129 (एक सो उन्तीस) रकबा 4.6782 (चार दशमलव छः सात आठ दो) हैक्टेयर एव खसरा नम्बर 130 (एक सो तीस) रकबा 5.9974 (पांच दशमलव नो नो

सात चार) हैक्टेयर तथा अप्रार्थीगण संख्या 11 (इग्यारह) ता 25 (पच्चीस) की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 126 (एक सो छबिस) रकबा 9.5020 (नो दशमलव पांच शुन्य दो शुन्य) हैक्टेयर एवं अप्रार्थीगण संख्या 26 (छबिस) की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 131 (एक सो इक्तीस) रकबा 8.1018 (आठ दशमलव एक शुन्य एक आठ) हैक्टेयर की भूमि आयी हुई है। तथा अप्रार्थीगण के उक्त खसरान के आगे खसरा नम्बर 294/2 (दो सो चोरानवे बटटा दो) किस्म गै मु गौचर की भूमि आयी हुई है जिसमें से बेदुकल्ला से निम्बो का तालाब जाने वाली डामर सड़क चल रही है उक्त सड़क के खसरा नम्बर 294/3 (दो सो चोरानवे बटटा तीन) है। अप्रार्थीगण के खातेदारी की चालु जमाबंदी व नक्शा की नकल साथ में पेश है।

3. यह है कि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु डामर सड़क मार्ग से अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता चलता है जिसे नजरी नक्शे में मार्क **ए बी सी डी** से दर्शाया गया है इसके अलावा प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने के लिये दुसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण ने हाल ही में प्रार्थीगण के आवागमन के उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है जिसको खुलवाने के लिए प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार बापिणी के समक्ष पेश किया जिस पर तहसीलदार बापिणी ने उक्त रास्ता खुलवाया गया लेकिन तहसीलदार

बापिणी के द्वारा रास्ता खुलवाने के बाद अप्रार्थीगण ने फिर रास्ता बन्द कर दिया इसलिए प्रार्थीगण को मजबुर विवश होकर यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है।

4. यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण के आवासीय ढाणीया व पशुओ के बाड़े बने हुए है प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में बारह मास निवास करते है प्रार्थीगण के आजीविका का मुख्य साधन पशु पालन है तथा पशुओ के चराने के लिए प्रार्थीगण को गौचर भूमि में आना जाना रहता है तथा अंन्य कार्य भी इसी रास्ते से किया जाता है।

5. यह है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा किन्तु उक्त रास्ते का मामला पारस्परिक सहमती से तय नहीं हुआ इसलिए प्रार्थीगण न्यायालय हाजा में उक्त रास्ता तय करने एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है।

6. यह है कि प्रार्थीगण को उक्त रास्ता डामर सड़क मार्ग से अप्रार्थीगण की भूमि के अन्दर 15 (पन्द्रह) फुट चोड़ा मार्ग प्रार्थीगण की भूमि तक तय किया जाकर राज़स्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज़ किया जावें। प्रार्थीगण विधि अनुसार एवं डी.एल.सी की असिंचित भूमि की दर के अनुसार

रास्ते की भूमि प्रतिकर न्यायालय हाजा द्वारा अवधारित करने पर अदा करने के लिए तैयार है। अप्रार्थीगण की भूमि असिचित है।

7. यह है कि प्रार्थीगण डामर सड़क मार्ग से अपनी खातेदारी भूमि तक पशुओ को चराने व अनाज एवं चारा की झाले व ट्रक आने जाने के लिये 15 (पन्द्रह) फुट चोड़े रास्ते की आवश्यकता है जिससे की चारे की झाले आसानी से आ जा सके एवं आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की आत्यंधिक आवश्यकता है एवं नजरी नक्शे में दर्शाया गया रास्ता लघुतम एवं निकटतम् रास्ता है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि न्यायाहित में प्रार्थीगण खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 125 (एक सो पच्चीस) तक आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 129 (एक सो उन्तीस) रकबा 4.6782 (चार दशमलव छः सात आठ दो) हैक्टेयर खसरा नम्बर 130 (एक सो तीस) रकबा 5.9974 (पांच दशमलव नो नो सात चार) हैक्टेयर खसरा नम्बर 131 (एक सो इक्तीस) रकबा 8.1018 (आठ दशमलव एक शुन्य एक आठ) हैक्टेयर खसरा नम्बर 126 (एक सो छबिस) रकबा 9.5020 (नो दशमलव पांच शुन्य दो शुन्य) हैक्टेयर में से नजरी नक्शे में दर्शाए गये लाल रंग से मार्क ए बी सी डी तक 15 (पन्द्रह) फुट चोड़ा रास्ता मंजूर किया जाकर रेकर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

दिनांक 16/06/2021